तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25.11.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 4.12.25 को पेश हो
4.12.25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ. साहब आज टौर पर पधारे है अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..... 8.1.26 को पेश की जावे

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ राज.
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या 171 / 2025

रामपाल पिता गंगाप्रसाद शर्मा
निवासी गुलाना तह० बेंगू

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार बेंगू
तह० बेंगू

उपस्थित :– विष्णु चतुर्वेदी
अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार
तहसीलदार बेंगू

आदेश प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
08.01.2026	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. पर उभय पक्ष कि बहस सूनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा गुलाना प.ह.गोविन्दपुरा के खाता संख्या 50 आराजी संख्या 660, 661 कुल किता –2 कुल रकबा 0.1210 है0 भूमि मे प्रार्थी के पिता गंगाप्रसाद की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियों की गलती से बिना तथ्यों कि जानकारी किये राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम "रामपाल शर्मा" के बजाय रामलाल गलत अंकित कर दिया जिससे प्रार्थी को राजकिय सेवाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। प्रार्थी से जारी सरकारी विभिन्न दस्तावेजात राशनकार्ड, आधारकार्ड, जन आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जोबकार्ड, आदि में प्रार्थी का नाम रामपाल शर्मा पिता गंगाप्रसाद शर्मा अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा गुलाना प.ह.गोविन्दपुरा के खाता संख्या 50 आराजी संख्या 660, 661 कुल किता –2 कुल रकबा 0.1210 है0 भूमि कृषि आराजीयात मे प्रार्थी का नाम रामलाल पिता गंगा प्रसाद शर्मा के बजाय "रामपाल शर्मा पिता गंगाप्रसाद शर्मा" अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे। इस पर तहसीलदार बेंगू ने अपनी बहस जवाब प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता गंगाप्रसाद की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतरण खोलते समय नामांतरण संख्या 256 दायर किया जाकर दिनांक 15.06.1990 को निर्णित हुआ जिसमे गंगाप्रसाद के वारिसान मे रामपाल का भी नाम दर्ज किया और तद्नुसार जमांबदी मे अंकन किया गया । आगमी जमांवदी रोटेशन सम्वत 2048–51 के खाता संख्या 21 मे रामपाल के बजाय रामलाल अंकित कर दिया जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। पटवारी गोविन्दपुरा, भू0 अ0 नि0 चेंची कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम गुलाना मे रामलाल पिता गंगाप्रसाद ब्राह्मण के नाम से अन्य कोई व्यक्ति नही है। रामलाल से रामपाल सही किया जाना उचित है। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेंगू (चित्तौड़गढ़)

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत सरकारी विभिन्न दस्तावेजात राशनकार्ड, आधारकार्ड, जन आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जोबकार्ड, आदि में प्रार्थी का नाम रामपाल शर्मा पिता गंगाप्रसाद शर्मा अंकित है। एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2078–78 के खाता संख्या 141 मे भी रामपाल पुत्र गंगाप्रसाद हिस्सा 1/3 दर्ज अंकित है। प्रकरण मे प्रस्तुत सभी दस्तावेजो व तहसीलदार बेंगू के जवाब प्रा.पत्र का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है तहसीलदार बेंगू को मौजा गुलाना प.ह.गोविन्दपुरा के खाता संख्या 50 आराजी संख्या 660, 661 कुल किता –2 कुल रकबा 0.1210 है0 भूमि कृषि आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम रामलाल पिता गंगा प्रसाद शर्मा के बजाय "रामपाल शर्मा पिता गंगाप्रसाद शर्मा" अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश कि प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दि जावे।

आदेश आज दिनांक 06.01.2026 को लिखा जाकर सरेइजलास सुनाया गया ।

(अंकित सामरिया)
उपखण्डअधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2025/40 दिनांक :– 16/1/26

प्रार्थना पत्र संख्या 171/2025 व अनवान रामपाल बनाम भूमिधारी प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट. में आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उपखण्डअधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़